रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012020-215533
CG-DL-E-18012020-215533

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2020/पौष 24, 1941
No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2020/PAUSHA 24, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

(मामला संख्या ओआई-32/2019)

चीन जन. गण., इंडोनेशिया और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विस्कोस स्पन यार्न" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/41/2019-डीजीटीआर.—1. द इंडियन मेनमेड यार्न मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विस्कोस रेयन स्पन यार्न" अथवा "वीएसवाई" के रूप में भी जाना जाता है (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद", "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है), के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन पत्र दायर किया।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और उपरोक्त देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

संबद्ध देश

3. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण., इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है । हालाँकि, डीजीसीआईएंडएस आयात डेटा बताता है कि सिंगापुर से आयात डी मिनिमस से कम है। तदनुसार, वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., इंडोनेशिया और वियतनाम हैं।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "विस्कोस रेयन स्पन यार्न है, जिसमें **55101110** और **55101210** के तहत आने वाली खुदरा बिक्री के लिए न रखे गए सिलाई धागे को छोड़कर कृत्रिम विस्कोस स्टेपल फाइबर का **85** प्रतिशत अथवा उससे अधिक भार है। विचाराधीन उत्पाद या तो एकल अथवा कई गुना फोल्ड किया हुआ अथवा केबिलयुक्त यार्न हो सकता है।"

5. वीएसवाई का प्रयोग मुख्य रूप से परिधानों में संभावित प्रयोग के लिए फैब्रिक के उत्पादन हेतु बुनाई अथना निटिंग के लिए किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के तहत वर्गीकृत है। यद्यपि, उत्पाद का निर्धारित वर्गीकरण 55101110 तथा 55101210 है, तथापि, विचाराधीन उत्पाद को 55101190, 55101290, 55109010 और 55109090 के तहत भी आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध सामान जिनका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। पाटित आयातों की तकनीकी विशिष्टियों, गुणवत्ता, प्रकार्य और अंतिम प्रयोगों तथा घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध सामानों और आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए पाटनरोधी नियमावली के तहत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः भारत में आवेदक द्वारा उत्पादक संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

8. यह आवेदन पत्र समान वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों की ओर से द इंडियन मेनमेड यार्न मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कंपनियों ने दावा किया कि न तो उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदन पत्र नियमावली के नियम **2**(ख) और नियम **5(3)** में निहित प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है।

आरोपित पाटन का आधार

i. चीन जन. गण. के सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-**1** के पैरा **7** के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने चीन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद **15**(क)(**i**) का उल्लेख किया है और उस पर विश्वास किया है और यह कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। आवेदक ने दावा किया है कि चीन की घरेलू लागतें और कीमतें तब तक स्वीकार नहीं की जा सकतीं जब तक चीनी निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था के परीक्षण पास न कर लें। आवेदक ने उल्लेख किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुच्छेद **1** के पैरा **7** और **8** के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त गैर बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं के मद्देनजर और चीन से उत्तरदाता निर्यातकों

द्वारा उसका खंडन किए जाने के अध्यधीन चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य का आंकलन नियमावली के अनुच्छेद 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

10. आवेदक ने दावा किया है कि थाईलैंड को चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण हेतु एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में लिया जाना चाहिए और थाईलैंड ने कीमत के संबंध में सूचना प्रदान की है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस मुद्दे पर जांच की शुरूआत की अधिसूचना जारी किए जाने के 30 दिन के भीतर अपनी टिप्पणियां दें। इस जांच के लिए चीन के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में थाईलैंड के दावे की विस्तृत जांच होने तक प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजन के लिए चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने हेतु भारत में देय कीमत के विकल्प को लिया है। इस जांच में थाईलैंड को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश चुनने के लिए आवेदक के दावे की जांच इस मुद्दे पर हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद जांच प्रक्रिया के दौरान और उनका मूल्यांकन किए जाने पर की जाएगी।

11. तद्नुसार, सामान्य मूल्य विधिवत रूप से समायोजित बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों के साथ सर्वाधिक दक्ष घरेलू उत्पादक की लागत के आधार पर भारत में उत्पादन लागत के आधार पर जांच की शुरूआत के प्रयोजन के प्रयोजन हेतु चीन के लिए निर्मित किया गया है।

ii. वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने वियतनाम को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने का दावा किया है। तथापि, वियतनाम को भारत द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर दिया गया है। आवेदक ने न तो वियतनाम में संबद्ध सामानों की घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में सूचना दी है और न ही सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए किसी ऐसे देश को वियतनाम से संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत लेने के लिए किसी उपयुक्त देश का सुझाव दिया है। इन विकल्पों के अभाव में प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत के प्रयोजन के लिए विधिवत रूप से समायोजित बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों के साथ सर्वाधिक दक्ष घरेलू उत्पादक की लागत के आधार पर भारत में उत्पादन लागत के आधार पर वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया।

iii. इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने इंडोनेशिया में उत्पाद की बिक्री कीमत के संबंध में सूचना दी है। आवेदक द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुसार प्राधिकारी ने इंडोनेशिया में घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर इंडोनेशिया के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

चीन जन. गण., वियतनाम और इंडोनेशिया के लिए निर्यात कीमत

14. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आंकड़ों के आधार पर सभी संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत का परिकलन किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और वैट (केवल चीन के लिए) के निमित्त कीमत समायोजन किए गए हैं।

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के संबंध में काफी पाटन मार्जिन दर्शाती है। इसका पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संपर्क

16. घरेलू उद्योग को क्षति के मूल्यांकन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण प्रभाव, भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में तथा पूर्ण दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आवेदक ने दावा किया है कि उसका निष्पादन उत्पादन, बिक्री और परिणामस्वरूप लाभ, नियोजित पूंजी पर आय तथा नकद प्रवाह में गिरावट के संबंध में घरेलू उद्योग के लिए बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर संबद्ध सामानों के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसका पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही है।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

17. घरेलू उद्योग द्वारा और घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत पूर्ण लिखित आवेदन पत्र के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, घरेलू उद्योग को क्षति तथा तथाकथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर और नियमावली के नियम **5** के साथ पठित अधिनियम की धारा **9**क के अनुसार प्राधिकारी संतुष्ट होने पर एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाती है और जो घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।

जांच की अवधि

18. आवेदक ने जांच अवधि (जिसे यहां आगे पीओआई भी कहा गया है) **01** अप्रैल, **2019** से **30** सितंबर, **2019** (**6** माह) प्रस्तावित की, परंतु प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में जांच की अवधि **1** अप्रैल, **2019** से **31** दिसंबर, **2019** (**9** माह) प्रस्तावित की। क्षति जांच अवधि में **2016-17, 2017-18, 2018-19** और जांच की अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

19. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम **6** में दिए गए सिद्धांत अपनाए जाएंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

20. संबद्ध देशों में विदित निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, संबद्ध सामानों से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से सभी संगत सूचना दायर कर सकें।

21. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाएं:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

चौथा तल, **जीवन तारा बिल्डिंग**,

5 **संसद मार्ग**, **नई दिल्ली** 110001

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध करायें।

समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह पाटनरोधी नियमावली के नियम **6(4)** के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से **30** दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:

i. गोपनीय चिन्हित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)

ii. अगोपनीय के रूप में चिन्हित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।

26. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रुपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के चार (4) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।

27. गोपनीय रुपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

28. अगोपनीय रुपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।

29. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।

30. किसी सार्थक अगोपनीय रुपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

31. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल की निरीक्षण

32. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, The 14th January, 2020

(Case No.OI-32/2019)

Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Viscose Spun Yarn" originating in or exported from China PR, Indonesia and Vietnam.

F.No. 6/41/2019 –DGTR.—1. The Indian Manmade Yarn Manufacturers Association (hereinafter also referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for original Anti-Dumping Duty investigation on imports of "Viscose Rayon Spun Yarn", also known as "Viscose Spun Yarn" or "VSY" (hereinafter referred to as "product under consideration" or PUC or "subject goods"), originating in or exported from China PR, Indonesia, Singapore and Vietnam.

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from the said countries and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Subject Countries

3. The Applicant has claimed injury due to dumped imports from China PR, Indonesia, Singapore and Vietnam. However, DGCI&S import data indicates that the imports from Singapore is below de minimus. Accordingly, the subject countries for the present investigation are China PR, Indonesia and Vietnam.

Product under consideration

4. The product under consideration for the purpose of the present investigation is "Viscose rayon spun yarn containing 85% or more by weight of artificial viscose staple fibre, other than sewing thread, not put up for retail sale, falling under 55101110 and 55101210. The product under consideration can be either single or multiple folded or cabled yarn".

5. VSY is mainly used for weaving or knitting for production of fabric for eventual use in garments.

6. The PUC is classified under Chapter 55 of Customs Tariff Act, 1975. While the prescribed classification of the product is 55101110 and 55101210, the PUC has also been imported under 55101190, 55101290, 55109010 and 55109090. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

Like Article

7. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the Applicant. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry

8. The Application has been filed by the Indian Manmade Yarn Manufacturers Association on behalf of the domestic producers of the like articles. The Applicant has claimed that neither they have imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the PUC in India. On the basis of the information available, the Authority notes that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Basis of Alleged Dumping

i. Normal value for China PR

9. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and stated that the Chinese producers should be directed to show that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods. The Applicant has claimed that Chinese domestic costs and prices cannot be accepted unless the Chinese exporters pass the tests of market economy. The Applicant has stated that for China normal value should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China, normal value of the Subject Goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

10. The Applicant has claimed that Thailand may be taken as a market economy third country for construction of normal value for China PR and has provided information regarding price in Thailand. All interested parties are advised to offer their comments on this issue within 30 days from the date of issuance of initiation notification. Pending detailed examination of the claim of Thailand as a surrogate country for China for this investigation, the Authority, for the purpose of initiation of the present investigation, has taken the option of the price payable in India for constructing normal value for the China PR. The claim of the Applicant for choosing Thailand as an appropriate market economy third country in this investigation would, however, be examined during the course of investigation after obtaining the comments from interested parties on this issue and evaluating them.

11. Accordingly, normal value has been constructed for China for the purpose of initiation, on the basis of cost of production in India, based on the cost of most efficient domestic producer with selling, general and administrative expenses, duly adjusted.

ii. Normal value for Vietnam

12. The Applicant has claimed Vietnam as non-market economy. Vietnam has however been given market economy status by India. The Applicant has neither furnished information in respect of domestic selling price of the subject goods in Vietnam nor has suggested any appropriate country for taking export price of subject goods from Vietnam to such a country for construction of normal value. In absence of these options, the Authority has, for the purpose of initiation, constructed the normal value for Vietnam on the basis of cost of production in India, based on the most efficient domestic producer's cost with selling, general and administrative expenses, duly adjusted.

iii. Normal value for Indonesia

13. The Applicant has provided information with regard to selling price of the product in Indonesia. As per the evidence provided by the Applicant, the Authority has considered normal value of Indonesia based on the domestic selling price in Indonesia.

Export price for China PR, Vietnam and Indonesia

14. The Authority has computed the export price for all the subject countries based on DGCI&S transaction-wise data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges, and VAT (only for China).

15. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link

16. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of production, sales and consequent decline in profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of increase in imports of subject goods at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence that the injury exists and is being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

17. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Period of Investigation

18. The Applicant proposed the Period of Investigation (hereinafter also referred to as "POI") 01st April, 2019 – 31st September, 2019 (6 months). However, the Authority has proposed the POI in the present investigation as 01st April 2019 – 31st December 2019 (9 months). The injury investigation period will cover the periods 2016-17, 2017-18, 2018-19 and POI.

Procedure

19. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

20. The known exporters in the subject countries, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street
New Delhi-110001

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Countries. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

26. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-

confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.

27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

32. In terms of Rule 6(7) of the Anti-Dumping Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

33. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Add. Sec. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.18 13:13:46 +05'30'